APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट – तस्वारियॉ

चन्द्रा पिता रुपा भील वगैरा
निवासी– तस्वारिया

बनाम श्रीमति सायरी पत्नि मोहन भील
निवासी– तस्वारियॉ

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 221/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2018	चन्द्रा, प्रभु पिता रुपा भील व उनके अधिवक्ता श्री ललित कुमार धनोपिया ने लोक अदालत केम्प कोर्ट तस्वारिया पर उपस्थित होकर कथन किया कि मौजा तस्वारिया की आराजी नम्बर– 725/1630, 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 737, किता 9 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा दर्ज स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में वादी नम्बर– 1 का 1/3, वादी नम्बर– 2, का 1/3, प्रतिवादी संख्या– 1 का 1/3 हक हिस्सा निहित है और सभी पककारान का अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । उपरोक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता व प्रतिवादी नम्बर– 1 के ससूर के द्वारा प्रतिवादी नम्बर–1 के पति मोहन के नाम पर खरीद की गई तथा मोहन की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजीयात विरासत से नामान्तकरण से प्रतिवादी नम्बर– 1 के नाम पर दर्ज हो गई जबकि उक्त आराजीयात हिन्दु संयुक्त परिवार की आय से खरीद की गई जिसमें हिन्दू संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का बराबर–बराबर हक हिस्सा निहित है । अन्त में निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया कलम नम्बर– 1 को प्रतिवादी नम्बर– 1 के खाते में से 2/3 हक हिस्सा कम करके वादीगण के नाम पर खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें । वादीगण के साथ प्रतिवादीया श्रीमति सायरी पत्नि मोहन भील भी उपस्थित हुई । जिनके द्वारा बताया गया कि आराजीयात उनके ससूर रुपा जी भील के द्वारा मेरे पति मोहन के नाम से जमीन खरीदी थी । मेरे पति की मृत्यु के पश्चात मेरे नाम आई है । इस जमीन में चन्द्रा व प्रभु जो मेरे देवर है उनका भी हिस्सा है उनका नाम दर्ज कराया जावें ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैंने उपस्थित दोनों पक्षों का सूना । पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मौजा तस्वारिया के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 725/1630, 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 737, किता 9 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि सायरी बेवा मोहन भील साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यहॉ उपस्थित वादीगण के द्वारा कथन किया कि उक्त भूमि हमारे पिता रुपा के द्वारा हमारे बडे भाई मोहन के नाम खरीद की गई है जिसमें हमारा भी बराबर–बराबर हक हिस्सा निहित है । उपस्थित प्रतिवादीया श्रीमति सायरी जो कि वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार है उसके द्वारा भी वादीगण के उक्त कथनों की पूष्टि करते हुये आराजीयात में वादीगण का नाम दर्ज किये जाने में अपने सहमति आज मेरे समक्ष मजमा आम लोक अदालत केम्प कोर्ट में व्यक्त की गई है । प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर दावा वादी लोक अदालत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

"निर्णय"

दावा वादी लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर मौजा तस्वारिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 725/1630, 726, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 737, किता 9 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार के साथ चन्द्रा, प्रभु पिता रुपा भील निवासी तस्वारिया को समान हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट तस्वारिया पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner